

आवश्यक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/छात्रवृत्ति/2018-19/360 दिनांक 12.7.18

समस्त प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :- मेधावी छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में पात्र छात्राओं के आवेदन-पत्र ऑनलाईन भरवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मेधावी छात्रा स्कूटी/देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना में वर्ष 2018-19 के लिए आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत पात्र छात्राओं से आयुक्तालय द्वारा जारी समयबद्ध कार्यक्रम अनुरूप ऑनलाईन आवेदन-पत्र योजनाओं के नियम, शर्तें इत्यादि विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in के Home Page पर Online Scholarship पर जानकारी प्राप्त कर भरवाने की व्यवस्था करें।

ऑनलाईन आवेदन-पत्र पूर्ण भरा हुआ, आक्षेपरहित जिला नोडल अधिकारी को समय पर ऑनलाईन फॉरवर्ड करें। जिला नोडल अधिकारी आयुक्तालय द्वारा तय समय सीमा में फॉरवर्ड करें।

स्वीकृत स्कूटी संबंधी समस्त पूर्ति, रजिस्ट्रेशन, बीमा हस्तान्तरण इत्यादि कार्यवाही पूर्ण कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिनांक-15 अगस्त 2018 तक वितरण किया जाना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष ए.टी.पेंडणेकर)
आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/छात्रवृत्ति/2018-19/361-362 दिनांक 12.7.18

प्रतिलिपि :-

1. समस्त रजिस्ट्रार, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार